

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____
(Name) _____

Roll No. _____
(In words)

2. (Signature) _____
(Name) _____

Test Booklet No.

J-6807

PAPER – III
CRIMINOLOGY

[Maximum Marks : 200

Time : 2½ hours]

Number of Pages in this Booklet : 32

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.
No Additional Sheets are to be used.
- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
 - To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
 - Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
- Read instructions given inside carefully.
- One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- Use only Blue/Black Ball point pen.
- Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
- There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।
इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।
- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
 - प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
 - कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
- यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
- केवल नीले / काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
- गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

CRIMINOLOGY

अपराधशास्त्र

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंको का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks. **(5x5=25 marks)**

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है। **(5x5=25 अंक)**

Every policeman must know that it is not permissible for the policeman to inflict even the slightest physical harm on any one, except in his own self-defence. Law places him at par with every other citizen in that regard and he is entitled to use only that much physical force which is reasonably necessary to thwart any assault on him in the exercise of his right of self-defence. Police must also remember that such right of self-defence is available to all citizens and hence no police personnel can legitimately claim a right to inflict harm to another, whether inside or outside the police-station, unless it has to be done in exercise of his right of self-defence, that too, without exceeding the parameters of such right.

प्रत्येक पुलिसमैन को यह जानना आवश्यक है कि उसे किसी भी व्यक्ति को जरा भी शारीरिक क्षति पहुँचाने की आज्ञा नहीं है सिवाय आत्मरक्षा की स्थिति में। कानून की नजर में इस दृष्टि से वह प्रत्येक नागरिक के समान है और वह आत्मरक्षा के लिए अपने ऊपर हुए हमले को विफल करने के लिए शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करने का हकदार है। पुलिस को यह याद रखना चाहिए कि आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को हासिल है और इसलिए कोई भी पुलिस कर्मचारी वैध रूप से दूसरे नागरिक को शारीरिक क्षति पहुँचाने का अधिकार रखने का दावा नहीं कर सकता वह चाहे पुलिस स्टेशन के अंदर हो या बाहर जब तक कि वह आत्मरक्षा के लिए न हो और वह भी बिना ऐसे अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किए।

1. What are the important functions of a policeman according to the Indian Police Act ? Briefly discuss.

इंडियन पुलिस ऐक्ट के अनुसार पुलिसमैन के महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या हैं? संक्षेप में चर्चा कीजिए।

2. "Law places him only at par with every other citizen ". Explain.

“कानून उसे केवल दूसरे नागरिकों के समकक्ष रखता है” व्याख्या कीजिए।

3. In what situation, can a policeman resort to physical force, and in what proportion ?

ऐसी स्थिति में क्या पुलिसमैन शारीरिक बल का प्रयोग कर सकता है और किस सीमा तक ?

4. What are the parameters of the right to self defence ?
आत्मरक्षा के अधिकार के प्राचल (पैरामीटर्स) क्या हैं ?

5. Discuss briefly the main concerns of the author of the above quoted para.
उपरोक्त अनुच्छेद में उद्धृत उद्धरण में लेखक की प्रमुख चिन्ताओं की चर्चा कीजिए।

SECTION - II
खण्ड – II

Note : This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.
(5x15=75 marks)

नोट : इस खंड में पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।
(5x15=75 अंक)

6. Define crime from legal and sociological point of view.
अपराध की कानून तथा समाजवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या कीजिए।

7. Delineate the scope of Criminology.

अपराध विज्ञान के क्षेत्र का निरूपण/चित्रण कीजिए।

8. How Classical school of thought in Criminology is different from Neo-Classical? Discuss.

अपराध विज्ञान में क्लासिकी विचार धारा, नवक्लासिकी विचारधारा से कैसे भिन्न है? चर्चा कीजिए।

9. Discuss and delineate Enrico Fern's law of criminal saturation.

एनरिको फर्न के 'अपराध संतृप्ति (सैच्युरेशन) के नियम' की चर्चा कीजिए तथा उसका चित्रण कीजिए।

10. What is the role of Psychiatry in explaining criminal behaviours ?

आपराधिक व्यवहार में मनोरोग की भूमिका क्या है? स्पष्ट कीजिए।

11. "Criminal Justice System is ineffective largely due to a multiplicity of laws." Do you agree ? Discuss.

“अपराध न्याय प्रणाली में कानूनों की बहुलता उसे अप्रभावी बना देती है” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

12. What are the legal steps expected of a Police Officer before and after effecting an arrest ?

गिरफ्तारी के पहले और बाद एक पुलिस अधिकारी से किन कानूनी कदमों की अपेक्षा की जाती है?

13. Delineate the role of police in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2006 in dealing with delinquent and children in need of care and protection.

बाल अपराध न्याय, अधिनियम २००६ (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) के अन्तर्गत बच्चों की देखरेख तथा सुरक्षा का निरूपण कीजिए।

14. How did Robert K. Morton improve on Durkheim's Concept of anomie ?

रॉबर्ट के मोर्टन ने किस प्रकार दुर्खाइम की 'अप्रतिमानता' (अनॉमी) की संकल्पना में सुधार किया ?

15. Define Research Design and indicate its different types generally used in social research.
अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा दीजिए और राजनीतिक अनुसंधान में प्रयुक्त उसके विविध प्रकारों को इंगित कीजिए।

16. "Female Criminality is on the increase". According to you what are the main reasons ?

“महिला अपराध बढ़ रहे हैं” आप की राय में इसके क्या कारण हैं?

17. Short term imprisonment does not at all serve any useful purpose in the reformation of prisoners. Why ?

कैदियों के सुधार में अल्पकालिक सुधार से कोई खास मतलब हल नहीं होता, क्यों?

18. What are features of Corporate malfeasance in India ?

भारत में कार्पोरेट अवैधकर्म (मालएफेन्स) के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं?

19. Outline the basic features of Restorative Justice.

पुनर्स्थापी (रेस्टोरेटिव) न्याय के मूलभूत अभिलक्षण क्या हैं?

20. How open-prisons are different from closed prisons in terms of objectives and physical characteristics ?

उनके उद्देश्यों तथा भौतिक अभिलक्षणों की दृष्टि से खुली जेल, बंद-जेलों से किस प्रकार भिन्न है?

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions of twelve (12) marks each. Each question is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में बारह (12) अंको के पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

21. Trace the origin and development of criminology as a discipline. Discuss its importance in understanding the crime problem.

एक विद्याशाखा के रूप में अपराध विज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास का क्रमिक विकास दिखलाइए तथा अपराध की समस्या को समझने में उसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

22. Give an account of the labelling theory of crime and examine the case of failure of rehabilitation of offenders from this point of view.

अपराध के नामपत्रण (लेबलिंग) सिद्धांत का वर्णन कीजिए और अपराधियों के पुनर्वास की असफलता के मामलों की इस दृष्टि से समीक्षा कीजिए।

23. Discuss retentionist and abolitionist approach to capital punishment. Also examine the present situation of capital punishment in India with reference to the Supreme Court rulings.

मृत्युदंड के बने रहने / प्रतिधारण तथा समाप्त कर देने के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कीजिए। तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संदर्भ में भारत में मृत्युदंड की स्थिति की समीक्षा कीजिए।

24. What is the 'Procedure established by Law' as contemplated under Article 21 of the Constitution of India for the enhancement of personal liberty ?

भारत के संविधान की धारा 21 में अवेक्षित कानून द्वारा स्थापित वह कार्य विधि क्या है जो वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करती है? वह किस प्रकार वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा में वृद्धि करती है?

25. The Criminal Justice System in India is criticised for being antiquated. What steps would you initiate so as to modernise it and make it adequate to cope with the demands of the 21st century ?

भारत की अपराध न्याय प्रणाली पुराकालीन है। उसके आधुनिकीकरण और 21वीं सदी की मांगों से पर्याप्त ढंग से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

SECTION - IV

खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. What are the major sex offences ? What are various treatment models, which are being followed in some developed countries to provide treatment to sex offenders ? Discuss on the prospects of treatment of sex offenders in jails in India.

प्रमुख यौन अपराध क्या हैं? कुछ विकसित देशों में अनेक प्रकार के कौन से उपचार हैं जिन्हें वे यौन अपराधियों को प्रदान कर रहे हैं? भारत में जेलों में इस प्रकार के यौन अपराधियों के उपचार के लिए संभावनाओं की चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

What are different challenges of criminal justice system in India in the context of rapid socio-economic change and development ? Suggest measures to meet these challenges.

भारत में त्वरित राजनैतिक-आर्थिक-विकास में होनेवाले विकास व परिवर्तनों के संदर्भ में अपराध-न्याय प्रणाली के लिए क्या विभिन्न चुनौतियाँ हैं? इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उपायों का सुझाव दीजिए।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)

(in figures)

Signature & Name of the Coordinator

(Evaluation) Date